अध्याय 1

संक्षिप्त अवलोकन

अध्याय 1

संक्षिप्त अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लोगों को सरकार द्वारा बेहतर और समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख सुधार पहल है। यह वेतन भुगतान, ईंधन सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी जैसे लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने, लीकेज को दूर करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने अर्थात बिना बैंक वाले क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार और पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।

प्रौद्योगिकी सक्षमता के एक कदम के तौर पर, नकद अथवा वस्तु के रूप में अंतरित किए सभी लाभ, एकत्रीकरण वेब-इंटरफ़ेस के भाग के रूप में कैप्चर तथा पर्याप्त रूप से वर्णित किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल **(https://dbtbharat.gov.in)** को देश में सभी सूचनाओं के लिए एक राष्ट्रीय एग्रीगेटर के रूप में अवधारित तथा विकसित किया गया है।

1.1.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की कल्पना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की कल्पना में एक शासन व्यवस्था शामिल है जो सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल सरकार से लोगों के बीच इंटरफेस सुनिश्चित करती है तथा पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों को निष्पक्ष, पारदर्शी, कुशल तथा विश्वसनीय तरीके से सीधे हकदारी प्रदान करती है। इसके अलावा, यह विभिन्न समाज कल्याण लाभार्थी योजनाओं में सरकार द्वारा एक प्रमुख सुधार पहल थी।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है

- सटीक लक्ष्यीकरण
- डी-डुप्लिकेशन
- धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कम करना
- सूचना तथा निधियों के प्रवाह के लिए योजनाओं के पुन: अभियंत्रण की प्रक्रिया
- अधिक जवाबदेही
- सब्सिडी में बर्बादी को समाप्त करना

1.1.3 सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रावधान

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 87 निर्धारित करता है कि

(1) विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लाभार्थियों को सीधे लाभ का अंतरण किया जाना चाहिए। सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए चोरी और दोहराव को कम करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती स्तरों को कम करने तथा इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी को कम करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पुनःअभियंत्रण किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

(2) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में विशिष्ट लाभों का अंतरण और लाभार्थियों को नकद अंतरण के साथ-साथ योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकारी योजनाओं के विभिन्न समर्थकों जैसे सामुदायिक कार्यकर्ताओं आदि को किए गए अंतरण/मानदेय शामिल होने चाहिए।

(3) मंत्रालयों/विभागों से नकद लाभों का अंतरण किया जाना चाहिए:

क) मंत्रालयों/विभागों से सीधे लाभार्थियों को;

ख) राज्य ट्रेजरी खाते के माध्यम से; अथवा

ग) केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।

1.1.4 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की पूर्व-आवश्यकताएं

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मुख्य उद्देश्य वैध लाभार्थी को सही खाते में और सही समय अर्थात् बिना विलंब से भुगतान का प्रत्यक्ष प्रसंस्करण और क्रेडिट की सुविधा प्रदान करना है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की पूर्व-आवश्यकताएं हैं:

- लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटलीकरण;
- लाभार्थियों के बैंक खाते खोलना; तथा
- आधार नामांकन।

1.1.5 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं की पहचान

एक योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी यदि:

- योजना के अंतर्गत व्यक्तियों अथवा परिवार को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जा सकता है;
- पहचान किए गए लाभार्थियों को अंतरित लाभों अर्थात् नकद अथवा किसी विशिष्ट वस्तु में; तथा
- यह योजना भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित है।

1.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की विभिन्न प्रक्रिया

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा जारी नकद तथा प्रकार में विभिन्न योजनाओं को 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' के अनुसार कवर[1] किया जा रहा है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अथवा अन्य भुगतान प्रणालियों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है:

I. मंत्रालय की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर में लाभार्थी की पहचान तथा नामांकन;

II. पहली बार बैंक खाते के विवरण का सत्यापन शामिल करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (अथवा कोई अन्य प्रणाली) में लाभार्थी का सत्यापन/पंजीकरण;

III. भुगतान फ़ाइल निर्देशों का सृजन; तथा

IV. भुगतान फ़ाइल का प्रसंस्करण तथा लाभार्थी को भुगतान।

चित्र 1: लाभार्थी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक की यात्रा

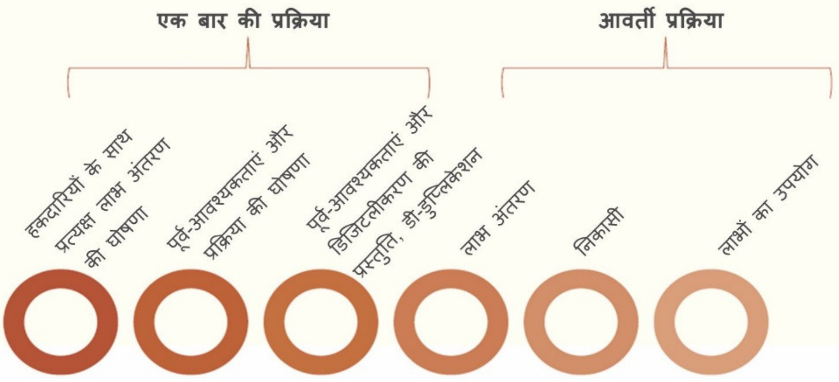

स्रोत: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण फ्लायर

1.3 संगठनात्मक संरचना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा को समाज के अलाभकारी और सीमांत वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का काम सौंपा गया है। राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभाग के पास निहित है। चयनित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी अनुमोदन विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

[1] उदाहरणार्थ: **नकद**: पहल (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। **प्रकार में**: सार्वजनिक वितरण प्रणाली। **अन्य अंतरण**: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक तथा शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता कर्मचारी।

तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाने, प्रयासों के दोहराव को खत्म करने तथा मतभेदों को दूर करने हेतु अर्थात् प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर योजनाओं के आसान परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र और राज्य के बीच समन्वित प्रयास के लिए भारत सरकार ने राज्यों से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष स्थापित करने को कहा है। राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर योजनाओं को लाने और लागू करने के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए इन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्षों के वन-स्टॉप पॉइंट होने की उम्मीद है। इसलिए, राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में हरियाणा के वित्त विभाग के तहत 13 जून 2016 को राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेल का गठन किया गया था। राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेल मुख्य रूप से वित्त विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के समन्वय की दिशा में काम करने के लिए जिम्मेदार है। कक्ष राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण परिचालन से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

1.4 राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति

एक प्रमुख सुधार पहल के रूप में, हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न समाज कल्याण लाभार्थी योजनाएं प्रारंभ की हैं। वर्तमान में राज्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर 25 विभागों की 135 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू योजनाएं शामिल हैं। लाभार्थियों, योजनाओं तथा लाभार्थियों के खातों[2] में अंतरित राशि की वर्षवार संख्या को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: लाभार्थी, अंतरित निधियों तथा योजनाओं की वर्षवार की संख्या

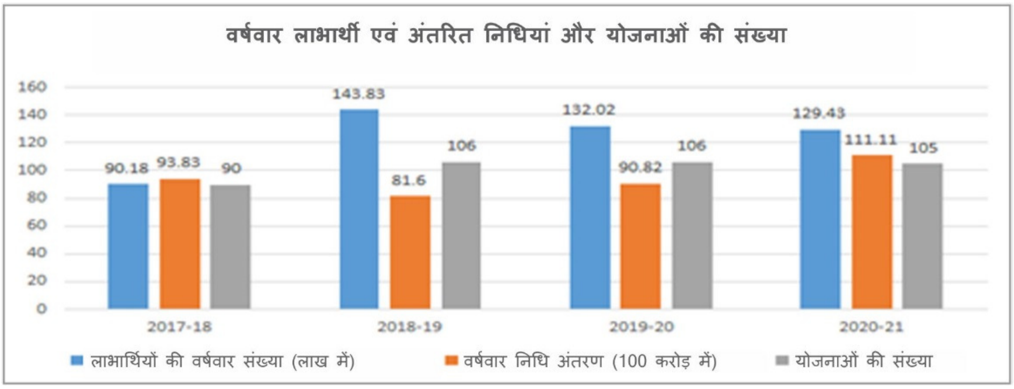

उपर्युक्त चार्ट दर्शाता है कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान लाभार्थियों के खातों में कुल ₹ 37,736 करोड़ की राशि अंतरित की गयी थी। 2017-18 में 90.18 लाख की तुलना में वर्ष 2018-19 में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 143.83 लाख हो गई थी। वृद्धि मुख्य रूप से 'पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण' योजना (16.63 लाख लाभार्थी), मध्याह्न भोजन योजना (14.92 लाख लाभार्थी) और समग्र शिक्षा (9.44 लाख लाभार्थी) के कारण हुई। इसके बाद 2019-20 में आठ योजनाओं और आगे 2020-21 में चार योजनाओं[3] में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण 2020-21 में यह घटकर 129.43 लाख हो गई।

[2] कई योजनाओं में नामांकित एक व्यक्ति प्रत्येक योजना के अंतर्गत एक अलग लाभार्थी है।

[3] प्रारंभिक शिक्षा की दो योजनाएं तथा ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास के लिए एक-एक योजना।

- इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष हेतु लाभ अंतरण की जानकारी और गतिविधियों को एकत्रित करने के लिए सितंबर 2017 में राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल बनाया गया था जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल के साथ एकीकृत है। राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का समेकित डैशबोर्ड;
  - योजना-वार अथवा स्थल-वार रिपोर्ट;
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू होने योग्य योजना/सेवा हेतु प्रगति निगरानी प्रणाली; तथा
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कोड प्रबंधन।

- राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्रोटोकॉल दस्तावेज़ के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष योजनाओं तथा कार्यक्रमों की सूची संकलित करने हेतु उन सभी विभागों के साथ समन्वय करता है जिन पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू है।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू करने योग्य राज्य तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की पहचान योजनाओं को कार्यान्वयित करने वाले संबंधित विभागों द्वारा की जाती है। संबंधित विभाग के अनुरोध पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा चिन्हित योजनाओं को राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया नीचे वर्णित है:

  - संबंधित विभाग राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर योजना को अपलोड करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरता है तथा इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेल में जमा करता है जो भौतिक रूप में किया जाता है तथा डाटा प्रविष्टि के माध्यम से शामिल किया जाता है।
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष योजना (साझा करने के आधार पर राज्य योजना अथवा केंद्र प्रायोजित योजना) के लिए एक यूनिक कोड बनाने हेतु विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड करता है।
  - विशिष्ट कोड सृजित किए जाने के पश्चात, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा प्रोफार्मा में राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर शेष जानकारी अपलोड की जाती है।
  - योजना अब संबंधित विभागों को राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर आगे और अद्यतनीकरण के लिए दृष्टिगोचर हो जाती है।
  - प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय यूजर सृजित किया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड की गई योजना तक पहुंचने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिया जाता है।

- ➢ विभागीय उपयोगकर्ता इसके पश्चात यूजर आईडी तथा पासवर्ड सृजित करके योजना स्वामी (स्वामियों) को बनाता है और राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर डाटा को अद्यतन करने के लिए योजना स्वामी को योजना/योजनाएं सौंपता है।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कोड[4] अखिल भारतीय आधार पर सृजित किया जाता है और जो वित्तीय लेनदेनों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल पर डाटा की रिपोर्टिंग के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू होने योग्य घटक/योजना को अलग करने के उद्देश्य के साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेनदेनों की पहचान के लिए प्रत्येक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लिए यादृच्छिक रूप से उत्पन्न पांच अंकों का कोड है।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कोड प्रक्रिया की निगरानी करता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल के साथ एकीकृत करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के संबंध में विभागों द्वारा की गई प्रगति अर्थात (i) लाभार्थी डाटाबेस डिजिटलीकरण, (ii) वैध आधार संख्या के साथ लाभार्थी डाटाबेस की सीडिंग, (iii) लाभ का अंतरण - नकद हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके, तथा के प्रकार के लिए आधार केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी से लाभार्थी प्रमाणीकरण के संबंध में विभागों द्वारा की गई प्रगति के उद्देश्य से योजना-वार/स्थान-वार रिपोर्ट तैयार करता है।

1.5 योजनाओं का चयन

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया गया कुल अंतरण ₹ 9,081.69 करोड़ था। इसमें से ₹ 6,455.07 करोड़ (71 प्रतिशत) की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा अंतरित की गई थी। जिन 14 योजनाओं में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा धन अंतरित किया गया है, उनमें से अधिकतम लाभ (94 प्रतिशत) तीन योजनाओं अर्थात (i) वृद्धावस्था पेंशन योजना (ii) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को हरियाणा पेंशन योजना और (iii) हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से अंतरित किया गया था। तद्नुसार इन तीनों योजनाओं को लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया।

जैसा नीचे वर्णित है तीन योजनाओं का उद्देश्य संबंधित वर्ग के व्यक्तियों जो अपने स्वयं के संसाधनों के साथ गुजारा करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है:

(i) हरियाणा सरकार ने 01 नवंबर 1966 से वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू किया। राज्य सरकार ने इस योजना को बढ़ाया तथा "वृद्धावस्था पेंशन योजना-1991" की

---

[4] संहिताकरण संरचना है - (क) से शुरू होने वाला योजना कोड - केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, (ख) से शुरू होने वाला योजना कोड - केंद्र प्रायोजित योजनाएं, (ग) से शुरू होने वाला योजना कोड - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं, (घ) से शुरू होने वाला योजना कोड - जिला योजनाएं, (ङ) से शुरू होने वाला योजना कोड - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र प्रायोजित योजनाएं। स्कीम कोड के शेष चार वर्णों का मान 0-9 और क से श के बीच होगा।

शुरुआत की, जिसे अब "वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना" नाम दिया गया है। यह योजना 01 जुलाई 1991 से लागू की गई थी।

(ii) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए हरियाणा पेंशन योजना वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी।

(iii) हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजनाएं वर्ष 1981-82 में शुरू की गई थीं। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा व्यय और तीन चयनित योजनाओं का विवरण तालिका 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: विभाग द्वारा किए गए व्यय के विवरण

योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा किए गए कुल व्यय से चयनित योजना के व्यय की प्रतिशतता	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा किए गए कुल व्यय से चयनित योजना के व्यय की प्रतिशतता	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा किए गए कुल व्यय से चयनित योजना के व्यय की प्रतिशतता
	2018-19			**2019-20**			**2020-21**		
सभी योजनाओं पर विभाग द्वारा किया गया कुल व्यय (₹ करोड़ में)	**5,714.31**			**6,455.07**			**7,701.49**		
चयनित योजनाओं के अंतर्गत किया गया व्यय[5]									
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	16,83,942	3,490.19	94%	17,67,874	4,001.95	93.41%	17,85,815	4,616.93	93.26%
विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन	7,19,523	1,525.93		7,39,399	1,624.41		7,60,328	2,098.46	
हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना	1,67,238	351.50		1,75,129	403.40		1,76,865	467.07	
कुल	**25,70,703**	**5,367.62**		**26,82,402**	**6,029.76**		**27,23,008**	**7,182.46**	

तथापि, बजट दस्तावेज के अनुसार, चयनित योजनाओं के अंतर्गत व्यय 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 5,372.39 करोड़, ₹ 6,128.29 करोड़ और ₹ 7,156.57 करोड़ है। बजट दस्तावेज और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल के अनुसार व्यय में इस अंतर के कारणों की विभाग द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है।

1.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लाभों के संवितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में लाभार्थी की पहचान, नामांकन और लाभार्थियों को भुगतान में शामिल चरण इस प्रकार हैं:

---

[5] राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले लाभार्थियों के लिए 2018-19 के दौरान ₹ 841.09 करोड़, 2019-20 के दौरान ₹ 1,011.02 करोड़ और 2020-21 के दौरान ₹ 1,120.21 करोड़ का लाभ शामिल है।

योजना के नामांकन की प्रक्रिया

↓

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता वेबसाइट/ई-दिशा पोर्टल से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें या सामान्य सेवा केंद्र/अंत्योदय केंद्र से भौतिक रूप से प्राप्त करें

↓

आवेदक आवेदन प्रपत्र भरकर, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे और इसे सरपंच/नगर पार्षद/लंबरदार/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित करवाए कि आवेदक उस क्षेत्र का निवासी है।

↓

आवेदक भरे हुए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ निकटतम अंत्योदय/सामान्य सेवा केंद्र जाता है। अंत्योदय/सामान्य सेवा केंद्र ऑपरेटर सरल (साधारण, सभी समावेशी, वास्तविक समय, कार्रवाई उन्मुख, लंबे समय तक चलने वाले) पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए डाटा का डिजिटलीकरण करता है और आवेदन पत्र की स्कैन की गई प्रति और मूल दस्तावेज अपलोड करता है/आवेदक भी सरल पोर्टल पर विवरण दर्ज कर सकते हैं और आवेदन पत्र और दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

↓

सरल पोर्टल पर सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद, आगे के संदर्भ के लिए रसीद/सरल आईडी तैयार की जाती है।

↓

आवेदक को सामान्य सेवा केंद्र की रसीद, मैनुअल आवेदन प्रपत्र, सहायक दस्तावेजों की प्रति और मूल दस्तावेजों के साथ भौतिक सत्यापन के लिए खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी/नगर पार्षद कार्यालय में निर्धारित तिथि या जिला समाज कल्याण कार्यालय में किसी भी दिन जाना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों में उल्लिखित विवरण का मिलान करेंगे।

↓

पेंशन संवितरण अगली आगामी नियमित पेंशन के साथ शुरू किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की तकनीकी टीम प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस को सामान्य स्थिति वाले बैंक खाते के साथ जिलावार डाटा संसाधित करती है।

प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, लेखा शाखा प्रत्येक माह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की तकनीकी टीम से प्राप्त तकनीकी डाटा के अनुसार बिल तैयार करती है और उसके बाद सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट समरी को खजाना में जमा करती है।

खजाना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट समरी/बिलों को मंजूरी देता है और खजाना बैंक को सभी संवितरण एजेंसियों में खोले गए विभाग के बैंक खातों में राशि भेजने के लिए अधिकृत करता है।

पेंशन को लाभार्थियों के खाते में जमा करने के लिए विभाग सभी संवितरण एजेंसियों को प्राधिकार पत्र भेजता है।

प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद, संबंधित संवितरण एजेंसियां एक्सएमएल फाइल (लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई) को डाउनलोड करती हैं और लाभार्थी के खाते में पेंशन जमा करने के लिए अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन में इसका उपभोग करती हैं।

संवितरण एजेंसियां जवाब वापस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करती हैं।

विभाग ने अक्तूबर 2020 में लाभार्थियों को भुगतान के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाया। उसके बाद डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (एक्स्टेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज) फाइलों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सर्वर पर सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्षेत्र में रखा जा रहा है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सिस्टम फाइल को चुनता है और लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि जमा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को पावती की स्थिति भेजता है। क्रेडिट करने के बाद, प्रतिक्रिया फाइलों को पुनः सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्षेत्र में रखा जाता है।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह पता करने के लिए की गई थी :

(i) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पुनः अभियंत्रण किया गया था ताकि न्यूनतम किया जा सके:

क) मध्यस्थ स्तर;

ख) अभिप्रेत लाभार्थियों को भुगतान में देरी; तथा

ग) चोरी और पुनरावृत्ति।

(ii) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की आधारभूत संरचना, संगठन तथा प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था।

1.8 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र तीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं तक सीमित है, अर्थात् (i) वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (ii) विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन और (iii) हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना। नमूने के प्रयोजन हेतु किए गए कुल व्यय को आकार माप के रूप में लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के डाटा विश्लेषण एवं अभिलेखों के माध्यम से प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच की। डाटा विश्लेषण के परिणाम चयनित छः जिलों अर्थात अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर में वैध किए गए थे।

सिस्टम डिजाइन प्रलेखन के अभाव में, सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों की मौजूदगी को मान्य नहीं किया जा सका था।

1.9 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, निर्देश एवं अधिसूचना।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाएं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर हैंडबुक तथा राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के लिए दिशानिर्देश।
- लाभार्थियों और भुगतानों की पहचान और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पर योजनाओं के दिशानिर्देश।
- डाटाबेस के रखरखाव, विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने और सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के संबंध में निर्देश।

1.10 लेखापरीक्षा पद्धति

दिसंबर 2020 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ एक एंट्री कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा के क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अभिलेखों के डाटा विश्लेषण एवं परीक्षण के माध्यम से चयनित योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की जांच पर केंद्रित थी। लेखापरीक्षा आपत्तियों को चयनित जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों में वैध किया गया था।

प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि को शामिल किया गया और 28 सितंबर 2021 को सरकार को अग्रेषित किया गया। 03 दिसंबर 2021 को अपर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता; सचिव वित्त, उप-निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विभाग/सरकार के विचारों को शामिल किया गया है तथा एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उत्तरों को भी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.11 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 और 3 में शामिल हैं। दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों में से प्रत्येक से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों तथा सिफारिशों को आसान समझने और अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा के लिए दो अलग-अलग अध्यायों में प्रतिवेदित

किया गया है। परिणाम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा और रिकॉर्ड पर आधारित हैं।

1.12 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न चरणों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।